राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांकः– एफ2(3)लागत / 1042/ 19 दिनांक : 20.4.16

–: कार्यालय आदेश :–

मण्ड़ल द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ़2(3)लागत / 1018 (iv)/551 दिनांक 06.02.2004 के अनुसार मण्ड़ल की मासिक किश्तों, पूर्व ग्रहण राशि (सीडमनी) कब्जा लेने से पूर्व की राशि आदि समय पर भुगतान नही किये जाने की स्थिति में आवंटियों से 18 प्रतिशत शास्ति लिये जाने एवं कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र / विलम्ब अवधि / 2013 / 738 दिनांक 06.8.2013 के अनुसार आवंटियों द्वारा आवंटन पत्र की मांग राशि विलम्ब से जमा कराने पर 06 माह तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, 06 माह से 01 वर्ष तक विलम्ब होने पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज एवं 05 प्रतिशत पैनल्टी तथा 01 वर्ष से 02 वर्ष तक विलम्ब होने पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज एवं 10 प्रतिशत लिये जाने का प्रावधान हैं।

संचालक मण्ड़ल की बैठक संख्या 230 दिनांक 01.4.2016 के बिन्दु संख्या 230.08 में लिये गये निर्णयानुसार कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र / विलम्ब अवधि / 2013 / 738 दिनांक 06.8.2013 के अनुसार आवंटन पत्र की मांग राशि विलम्ब से जमा कराने पर 06 माह तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, 06 माह से 01 वर्ष तक विलम्ब होने पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज एवं 05 प्रतिशत पैनल्टी तथा 01 वर्ष से 02 वर्ष तक विलम्ब होने पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज एवं 10 प्रतिशत पैनल्टी लिये जाने का प्रावधान को विलोपित किया जाता है तथा कार्यालय आदेश क्रमांक एफ2(3)लागत / 1018 (iv)/551 दिनांक 06.02.2004 के अनुसार आवंटियों से विलम्ब अवधि का ब्याज 18 प्रतिशत वार्षिक की दर को घटाकर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से लिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। ब्याज की गणना प्रति दिवस के हिसाब की जावेगी।

यह आदेश कार्यवाही हेतु लम्बित एवं भविष्य के सभी प्रकरणों पर लागू होगें।

वित्तीय सलाहकार

क्रमांकः– एफ2(3)लागत / 1042/ 19 दिनांक : 20.4.16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– निजी सचिव–अध्यक्ष / आवासन आयुक्त, रा.आ.म., जयपुर।
2– मुख्य अभियन्ता / सचिव, रा.आ.म., जयपुर।
3– अति.मु. अभियन्ता, ..., रा.आ.म., ...।
4– उप आवासन आयुक्त, वृत्त– ...., रा.आ.म., ...।
5– संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा.आ.म., जयपुर। (for website)
6– आवासीय अभियन्ता, खण्ड़– ...., रा.आ.म., ...।
7– लेखाधिकारी वृत्त– ...., रा.आ.म., ...।
8– सम्बन्धित पत्रावली।
9– रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार

Office Order Hindi/Hanuman Sahay/Costing